तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1584/2006/भीलवाडा ग्रामवारिया ग्राम करमा जरिये गुलाब बनाम मोहन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या– 1 व 2

निर्णय

दिनांक 03.10.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत् मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 25–04–2005 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 07–02–2006 से निरस्त कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1584/2006/भीलवाडा ग्रामवारिया ग्राम करमा जरिये गुलाब बनाम मोहन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजी बिलानाम तालाब पेटा भूमि है जिसके चारों ओर विशालकाय पेड लगे हुए है तथा उक्त नाडी में बारिश के दिनों में पानी भरता है, जिसमें ग्राम के मवेशी पीते है। उनका कथन है कि विवादित आराजी तालाब पेटा भूमि होने से सार्वजनिक हित की भूमि है जिसमें सभी ग्रामवासियों का हित निहित है तथा प्रार्थीगण ने ग्रामवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण विवादित राजकीय आराजी पर अतिक्रमण कर पत्थर डालकर कुआ खोदना चाहते है, जिससे ग्रामवासियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। उनका कथन है कि विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रमाणित होता है तथा तालाब पेटा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कुआ खोद लिया जाता है तो ग्रामवासी प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को संधारण योग्य नहीं मानकर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयो को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन आदेश को विधिसम्मत् होना बताते हुए निगरानी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1584/2006/भीलवाडा ग्रामवारिया ग्राम करमा जरिये गुलाब बनाम मोहन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनका कथन है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में कोई हक व स्वत्व निहित नही होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र संधारण योग्य नहीं था, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर पंचायत एवं सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर कुआ खुदवाया गया है, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में निगरानी के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र पर पारित निर्णयों की वैधानिकता पर ही विचार किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं को ही देखा जाना है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक भूमि दर्ज है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण को यह बताना आवश्यक है कि विवादित आराजी पर उसका क्या अधिकार है अथवा किस हैसियत से निषेधाज्ञा की मांग की है। केवल मात्र विवादित आराजी को तालाब पेटा अंकित कर देने मात्र से विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं होता है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र बिना आदेश 1 नियम 8 जाप्ता दीवानी बाबत् न्यायालय की अनुमति बिना प्रतिनिनिधित्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1584/2006/भीलवाडा ग्रामवारिया ग्राम करमा जरिये गुलाब बनाम मोहन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पेश किया है, जो संधारण योग्य नहीं है। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर कुआ खुदवाये जाने का प्रश्न है, अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत एवं सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर कुआ खोदा गया है। यदि उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र विधि विरूद्ध है तो राज्य सरकार अप्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है। प्रार्थीगण को इसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य